11.2.16

वकील प्रार्थीगण मय प्रार्थीगण ने एक प्र. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस प्रकरण में उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा की बात-चीत हो गई है इस कारण इस आवेदन को चलाना नहीं चाहते है तथा उक्त प्रा.पत्र इस शर्त के साथ वापिस विड्रोल [illegible] किया जाने की राजीनामा नहीं होने तो उस प्रा.पत्र पुनः पेश कर सकें।

अतः प्रार्थी का उक्त प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण को यह अनुमति दी जाती है की पक्षकारान के मध्य राजीनामा नहीं

[illegible]

सुखराम

सि.
[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	हो तो प्रा०पत्र पुनः पेश कर सकेंगे। अतः प्रतिवादीगण के निवेदन पर प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार तैयार बाद दाखिल रिकार्ड हो।
	सहायक [illegible] (SDO), [illegible]